न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–मुरैना

1. बैजनाथ पुत्र श्री जीवनलाल,
2. बनवारीलाल पुत्र श्री जीवनलाल,
निवासी रिठौनिया, कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.)

——आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर जिला–मुरैना (म.प्र.)

—— अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/ 2015–16 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10.10.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर, जिला मुरैना का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय, कलेक्टर, जिला मुरैना द्वारा आवेदकगण सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का प्रर्याप्त अवसर दिये बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतो के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, विधान सभा में उठाये गये प्रश्न के आधार पर प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, जिसमें तहसीलदार द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें बताया गया है कि आवेदकगण शासकीय पटटेदार से बना भूमिस्वामी अंकित है। जबकि इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने समस्त दस्तावेज तथा तहसीलदार कैलारस द्वारा जारी पट्टे का आदेश प्रस्तुत किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त दस्तावेज एवं आदेश पर विचार किये बिना एकपक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर जो आदेश पारित किया है, वह नितान्त, अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3622/एक/2016 जिला–मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19-1-17	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा कलेक्टर जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 09/2015-16/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-10-2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदकगण के स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम रिठोनिया तहसील कैलारस जिला मुरैना ने सर्वे क्रमांक 65 मिन 2 रकवा 0.840 एवं सर्वे क्रमांक 140 रकवा 0.050 एवं सर्वे नंबर 155 रकवा 0.610 हैक्टेयर जिसमें से सर्वे नं. 65 मिन 2 का व्यवस्थापन तहसीलदार महोदय कैलारस के प्रकरण क्रमांक 15/93-94/अ-19 से किया गया है तथा सर्वे क्रं. 140 तथा सर्वे क्रं. 155 आवेदकगणों की पैतृक संपत्ति है जिस पर आवेदगणों के मकान आदि बने हुये है। इनके संबंध में शासन में कुछ शिकायत प्राप्त हुई जिसे आधार मानकर अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ द्वारा तहसीलदार कैलारस से जांच प्रतिवेदन लिया गया एवं अपने न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 56/14-15/बी-121	

	पर दर्ज कर जांच प्रतिवेदन दिनांक 05.06.2016 को कलेक्टर मुरैना के समक्ष जमीन को शासकीय घोषित करने हेतु प्रेषित कर दिया। इस पर सुनवाई कर कलेक्टर मुरैना द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 09/15-16/स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10.10.2016 से आवेदकगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि को शासकीय घोषित कर दिया गया है। जिससे व्यथित होकर निगरानी प्रस्तुत की गयी। 3- निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के पक्ष सुने तथा आवेदकगण की ओर से उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। 4- आवेदकगणों के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया की वादित भूमि का बंटन तहसीलदार श्योपुर द्वारा आवेदकगण को वर्ष 1994-95 में किया गया था। जिसे शिकायत के आधार पर कलेक्टर द्वारा 22 वर्ष उपरान्त स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया गया है। जो कि अवैधानिक है क्योंकि प्रथमतः शिकायत के आधार पर स्वमेव निगरानी में प्रकरण नहीं लिया जा सकता। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलीय	

आदेश था जिसके विरुद्ध अपील करना चाहिए थी। इस संबंध में उनके द्वारा न्याय दृष्टांत 1981 आर.एन. 333 (उच्च न्यायालय) 2007 आर.एन. 71 के न्याय दृष्टांत का सन्दर्भ देते हुये कहा गया की इस ओर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा यह तर्क भी दिया गया आवेदकगण को हुये बंटन की जानकारी शिकायतकर्ता को पूर्व से थी यदि शिकायतकर्ता को कोई आपत्ति थी तो उसे अपील करनी चाहिए थी। अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया प्रकरण में जो कार्यवाही हुई है वह मनमाने तरीके से सोची समझी साजिश के तहत की गई है यह भी कहा गया की स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्ति-युक्त समय के भीतर नहीं किया गया युक्ति-युक्त समय की अवधि कुछ माह ही हो सकती है, अन्त में उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि सर्वे क्रमांक 140 व 155 की भूमि आवेदकगण की पैतृक संपत्ति थी जिसका शासकीय संपत्ति से कोई संबंध नहीं था उसके बाद भी पुश्तैनी संपत्ति को भी शासकीय घेाषित कर दिया जिसको अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं था एवं आवेदगण द्वारा विचारण न्यायालय के प्रकरण नकल हेतु आवेदन अभिलेखागार मुरैना के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें पत्र दिनांक

10.02.2016 में लेख किया गया कि आवंटित की गई भूमि के संबंध में प्रकरण क्रमांक 15/93-94/अ-19 रिकार्ड कक्ष में 2003 में आग लग जाने के कारण नष्ट हो गया है इस कारण से प्रकरण उपलब्ध नहीं कराया जा सकता ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5- मध्यप्रदेश शासन के शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित होने से निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6- उभयपक्षों के अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण के पक्ष में आवंटन वर्ष 1993-94 में किया गया था जिसे शिकायत के आधार पर कलेक्टर मुरैना द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया जाकर निरस्त किया गया है। जो विधि सम्मत नही है इस संबंध में न्याय दृष्टांत 2002 आर.एन. 156 एवं 2006 आर.एन. 313 अवलोकनीय है इन न्याय दृष्टांतों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्वमेव

नहीं की जा सकती और ना ही न्यायालय अपनी ओर से प्रतिस्थापित कर सकता है एवं कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी की कार्यवाही 22 वर्ष उपरान्त प्रारम्भ की गई है जो कि न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में युक्ति–युक्त अवधि नही मानी जा सकती। किसी भी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु न्याय दृष्टांत 1998 (1) म.प्र. वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 वर्ष की अवधि को युक्ति–युक्त अवधि नही माना गया है। इसी प्रकार आई.एल.आर. (2011) मध्यप्रदेश 1 (माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा मध्यप्रदेश शासन) में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनैक न्याय दृष्टांतों का सन्दर्भ देते हुये यह अभिनिर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा की शक्तियों का प्रयोग पुनरीक्षण प्राधीकारी द्वारा उसके अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाहियों की अनियमितता की तारीख से 180 दिन के भीतर ही किया जा सकता है। उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में कलेक्टर मुरैना द्वारा पारित आलौच्य आदेश न्याय संगत एवं विधि सम्मत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है विचारण न्यायालय का प्रकरण अग्निवृष्टि में नष्ट हो जाना संबंधित अभिलेखागार प्रभारी द्वारा अपने पत्र के माध्यम से बताया गया है एवं अधीनस्थ न्याया.

ने स्वंय स्वीकार किया है कि आवेदकगणों का खसरा पंचाशाला में नाम अंकित है एवं विचारण न्यायालय का प्रकरण दायरा पंजी में दर्ज है इस कारण से आवेदकगणों के नाम से की गई प्रवृष्टि को अवैध प्रवृष्टि नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर मुरैना द्वारा पारित आदेश कतई स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर मुरैना द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 09/2015-16/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-10-2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ का प्रकरण क्रमांक 56/14-15/बी-121 में की गयी समस्त कार्यवाही को अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार कैलारस को आदेश दिया जाता है की आवेदकगण का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये।

(एम०के० सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर